

राष्ट्रीय हित

(National Interest)

राष्ट्रीय हित की अवधारणा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण धारणा है प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रीय हित अलग-अलग होते हैं और प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये प्रयास दूसरे राष्ट्रों के हितों से टकराते हैं। राष्ट्रीय हित विदेश नीति के संचालन का प्रमुख तत्व है। जैसा कि जोसेफ फ्रेंकल ने राष्ट्र-हित को विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत माना है जबकि मायेन्थो ने उसे विश्व राजनीति का अंतिम एवं निर्णायक तत्व माना है। अतः प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति का निर्माण राष्ट्रीय हित के परिदृश्य में करता है-जो सदैव इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। राष्ट्रीय हित, स्थान एवं काल के परिवर्तन के साथ अपने स्वरूप बदलता रहता है-एक राष्ट्र के एक समय में अनेक हित हो सकते हैं-इन हितों के बीच परस्पर विरोधाभास भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में जो हित महत्व एवं प्रभाव की दृष्टि से उच्च स्तर का होता है उसको वह राष्ट्र प्राथमिकता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय हित का आशय (Meaning of National Interest)

राष्ट्रीय हित अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का केंद्र बिंदु है जिसमें कि प्रत्येक राष्ट्र के कार्यों, उनके प्रमुख लक्ष्य एवं स्वार्थों की पूर्ति होती है।

1. राष्ट्रीय हित को परिभाषित करते हुए चार्ल्स लर्च एवं अब्दुल सईद ने कहा है कि- “राष्ट्रीय हित एक ऐसा व्यापक दीर्घकालिक एवं सतत् उद्देश्य, जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार सभी अपने को प्रयत्न करते हुए पाते हैं।”

(National Interest is the general, long term and Continuing purpose which the state, the nation and the government all see the themselves as serving.)

2. पॉल सोबरी ने राष्ट्रीय हित को परिभाषित करते हुए इसके तीन अर्थ बताए हैं।

- (i) भविष्य में प्राप्त ऐसे आदर्श लक्ष्य जिन्हें कोई राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है।
- (ii) 'राष्ट्र हित' शब्द का दूसरा हित उन नीतियों का द्योतक होना है जिनको कोई राष्ट्र व्यवहार में प्रयोग करता है।
- (iii) राष्ट्र हित शब्द का तीसरा अर्थ वह हो सकता है जो किसी राष्ट्र के विदेश नीति निर्धारक उसे देना चाहे।

3. पेंडल फोर्ड और लिंकन ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल्य हैं—राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति तथा क्षेत्रीय अखण्डता और सीमाओं की सुरक्षा करना है।

(Concept of national interest are centered on core values of the society, which include the welfare of The Nation the security of its political belief, national Way of life, territorial integrity and its self-preservation.)

4. वी. वी. डाइक ने राष्ट्रीय हित के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “राष्ट्रीय हित वह हैं जिसे राज्य पारस्परिक संबंधों में प्राप्त करना तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसका अर्थ है प्रभुता-संपन्न राज्यों की इच्छाएं।

(The which states seen to protect or achieve in relation to each other, it means desires on the part of sovereign states)

राष्ट्रीय हित के विभिन्न प्रकार (Different kinds of National Interest)

किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित उस राज्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन हितों को प्रत्येक राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। विचारक राबिन्सन ने राष्ट्रीय हितों को छः भागों में वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया है। प्राथमिक हित (Primary Interest) यह हित 'राष्ट्रीय सुरक्षा' की दृष्टि से महत्वपूर्ण हित है जिन पर कोई राष्ट्र समझौता न करके व दूसरों राष्ट्रों के अतिक्रमण के विरुद्ध अपनी भौतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बनाए रखने के लिए अपनी संप्रभुता हेतु कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। दूसरा हित गौण हित या द्वितीयक (Secondary Interest) कहे जाते हैं जो प्राथमिक हितों से कम महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें विदेशों में बसे राष्ट्रीय नागरिकों को सुरक्षा व सुविधाएं उपलब्ध कराना सम्मिलित है।

तृतीय हित स्थायी हित (Permanent Interests) उसके अंतर्गत राज्य के दीर्घकालीन लक्ष्य व प्रयोजन सम्मिलित होते हैं। जो अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखने में सहायक होते हैं। 'चौथा हित - परिवर्तनशील हित जिसमें राष्ट्रों के वे हित सम्मिलित होते हैं जो की भलाई के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। पांचवां हित - सामान्य हित (Common Interests) ये सकारात्मक हित हैं जो अनेक राष्ट्रों में शांति को बनाए रखने के साथ उनके संबंधों में सुधार की स्थिति को उत्पन्न करने वाला हित हैं। जो बहुत से राष्ट्रों के विशिष्ट क्षेत्रों 'व्यापार' अर्थव्यवस्था व कूटनीति संबंध स्थापित करने में सहयोगी होते हैं। छठवीं हित - विशिष्ट हित (Specific Interest) जो सामान्य हितों की उपज होते हैं। इसमें विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों द्वारा नई आर्थिक व्यवस्था की प्राप्ति हेतु एवं विशिष्ट क्षेत्र व देश के साथ संबंधों की स्थापना जैसे कार्य सम्मिलित होते हैं।

इन छः प्रकार के हितों के अतिरिक्त राबिन्सन ने तीन प्रकार के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हित भी बताए हैं। जिसमें प्रथम - अभिन्न हित (Identical Interests) ये हित बहुत से राज्यों के समान हित होते हैं। दूसरा हित - पूरक हित (Complementary Interests) इसके अंतर्गत ऐसे हित सम्मिलित होते हैं जो दो राष्ट्रों के विशिष्ट समझौते के आधार होते हैं। तृतीय हित-परस्पर विरोधी हित (Conflicting Interests) इनसे आशय है कि जो न समान होते न पूरक। ये प्रायः दो देशों में संघर्ष का कारण बनते हैं।

मूलतः राष्ट्रीय हित जो राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। राष्ट्रीय हित दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ कालीन एवं तत्कालीन अथवा मार्मिक और अमार्मिक।

प्रकृति एवं कार्य (Nature and Work)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों को प्राप्त करने के हमेशा प्रयत्नशील रहता है। यदि कोई राष्ट्र अपने हितों का संरक्षण नहीं कर सकता है तो वह असफल विदेश नीति का प्रतीक होगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए 'शक्ति' ही मुख्य साधन है। जिनका प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना उन्हें बनाना तथा राष्ट्र को विश्व समाज में उच्च स्थान प्रदान करना है। अतः राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय हित National interest है, जिसे प्राप्त करने के बाद ही अन्य हितों को प्राप्त करना संभव होता है। राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सर्वकालिक अपरिवर्तनशील सत्य है। और इसी कारण माग्रेन्थो ने यथार्थवाद के समर्थकों को अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते समय दूसरे देश के 'शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित' को ध्यान में रखने का परामर्श दिया।

राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए निम्नलिखित उपायों को प्रयोग में लाया जाता है।

(i) कूटनीति Diplomacy (ii) प्रचार व मनोवैज्ञानिक युद्ध Propoganda and Psychological (iii) आर्थिक साधन Economic Instrument (iv) साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद Imperialism and Colonialism (v) 'युद्ध' राजनीति के साधन के रूप में (War as a Instrument of National Policy)

राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने व उनके संरक्षण या संवर्धन के लिए इन सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण साधनों पर निर्भर रहना चाहिए जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि “प्रत्येक सरकार को अपनी नैतिकता के आधार पर कार्य करना चाहिए।”

कूटनीति (Diplomacy)

राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कूटनीति एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। माझेन्थो के अनुसार “उत्तम श्रेणी की कूटनीति विदेश नीति के लक्ष्य तथा साधन का राष्ट्रीय शक्ति के साधनों से सामजंस्य स्थापित कर देगी और राष्ट्रीय हित के गुप्त स्रोतों की खोज कर, उन्हें पूर्व स्थायी रूप से राजनीतिक यथार्थता में परिणित कर देगी। राष्ट्रीय प्रयत्नों को दिशा प्रदान कर वह अन्य तत्वों जैसे औद्योगिक संभावनाएं, सैनिक तैयारी, राष्ट्रीय चरित्र तथा राष्ट्रीय मनोबल का प्रभाव बढ़ा देगी” कूटनीतिज्ञ के माध्यम से एक राष्ट्र की विदेश नीति और उसके नीति नियन्ताओं में समन्वय स्थापित करते हैं और राष्ट्रीय हित के उद्देश्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शांति वार्ता का संचालन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि “राजनय विदेश नीति नहीं है, वरन् इसे संचालन करने वाला एक अभिकरण है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि एक के बिना दूसरा कार्य नहीं कर सकता। कूटनीति का विदेश नीति से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है वरन् ये दोनों मिलकर कार्य करती है जिसमें कार्यपालिका की नीति द्वारा रणनीति तय की जाती है और कूटनीति द्वारा तकनीक तय की जाती है।” राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति के उद्देश्यों तथा कूटनीति के लक्ष्यों की प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व कूटनीतिज्ञों पर होता है। राजनयिक संबंधों के माध्यम से एक सरकार नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ हो सकती है। वह अपने लिए एक सम्मानजनक वातावरण का निर्माण कर अपनी नीतियों के लिए दूसरे राज्यों का क्रियात्मक समर्थन प्राप्त कर सकती है। कूटनीतिक संबंधों की स्थापना द्वारा लाभकारी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन दिया जा सकता है जो उसके विकास और संबंधों के लिए बेहतर सिद्ध होगा।

(iii) प्रचार व मनोवैज्ञानिक युद्ध (Propaganda and Psychological War)

राष्ट्रीय हित के साधन के रूप में प्रचार एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रचार के अभाव में एक शक्तिशाली राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ख्याति नहीं प्राप्त कर सकता है। जोसेफ फ्रेंकेल के शब्दों में 'प्रचार से हमारा अर्थ सामान्यतः किसी ऐसे व्यवस्थित प्रयास से होता है जो किसी उद्देश्य के लिए एक प्रदत्त समूह के मस्तिष्कों भावनाओं तथा क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।'

(Propaganda is a systematic attempt to affect the minds, emotions and actions of a given group for a specific public purpose.) वर्तमान में प्रचार का महत्व इतना बढ़ गया है कि कूटनीति और युद्ध के बाद राष्ट्र प्रचार का सहारा लेते हैं। 21वीं शताब्दी में क्रांतिकारी प्रगति ने एक साधन के रूप में प्रचार को बहुत बढ़ावा दिया। एक राष्ट्र टेलीविजन, समाचार पत्रों, वीडियो फिल्मों, विशिष्ट प्रकाशनों द्वारा अपने लक्ष्यों को न्याय संगत एवं अनिवार्य बताने का प्रयास करता है। राजनीति युद्ध राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का साधन है। युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला हो जिसके प्रत्येक विषय पर विचार और कार्य विश्व शांति की दृष्टि से नहीं, वरन् अपने संकीर्ण स्वार्थों के संदर्भ में किया जाता है। यह मनुष्यों में लड़ा जाने वाला युद्ध है जिसे स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। जो विचारधाराओं का युद्ध है। इसके अंतर्गत राष्ट्र प्रचार के माध्यम से एक-दूसरे की शक्ति को बढ़ावा देते हैं।

आर्थिक साधन (Economic Instrument) : राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि में राष्ट्र के विकास के लिए आर्थिक साधन महत्वपूर्ण है जैसा कि वरनॉन वान डायक ने कहा है, "आर्थिक उपकरण केवल प्रभावशाली ही नहीं बल्कि एक साधक भूमिका का भी निर्वाह करता है। आर्थिक उपकरण विदेश नीति के निर्धारक ही नहीं बल्कि विदेश नीति के साधक भी हैं। एक राज्य आर्थिक कारणों से किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न कर सकता है अथवा ऐसी आर्थिक विधियों को स्वीकार कर सकता है जिनसे किन्हीं कारणों पर आधारित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। विकसित देशों तथा विकासशील देशों के मध्य अंतर ने हितों को श्रेष्ठ बनाने के अवसर दिए निर्धन देशों की औद्योगिक वस्तुएं, तकनीकी ज्ञान, विदेशी सहायता, शस्त्रास्त्र, कच्चा काल बेचने के लिए विकसित देशों की निर्भरता विकसित देशों की आर्थिक उपकरणों से सुदृढ़ बनाती है। पामर एंड पार्किन्स ने लिखा है, राष्ट्रीय उद्देश्यों की आए हानि के लिए जब आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। वे दूसरे राज्यों को हानि पहुंचाने के लिए हो या नहीं वे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन हैं।

21वीं शताब्दी के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति परिदृश्य में आर्थिक साधनों के सही प्रयोग से राष्ट्र विकास कर सकता है और विकास कर अपने हितों की सुरक्षा भी कर सकता है।

साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद (Imperialism Colonialism)

राज्यों की यह सामान्य नीति रही है वे किसी न किसी रूप में अपना विस्तार करें। राज्यों द्वारा अपने प्रभाव और नियंत्रण को इस तरह से फैलाना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। रिचर्ड सट्टन ने लिखा है। “साम्राज्यवाद एक ऐसी नीति है जो दूसरे देश या इन पर अपनी शक्ति नियंत्रण का विस्तार करना चाहती है।”

साम्राज्यवाद यूरोपीयन राष्ट्रों द्वारा अपने से सर्वथा भिन्न गैर यूरोपीयन जातियों पर प्रभुत्व स्थापित करना है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के सिद्धांत एक दूसरे से गहरे संबंधित हैं किंतु साम्राज्यवाद में मूल रूप से राजनीतिक नियंत्रण की व्यवस्था है वहीं उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक राज्य के लोगों द्वारा उपनिवेशीय लोगों के जीवन तथा संस्कृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की व्यवस्था है। साम्राज्यवाद के विस्तार हेतु जहाँ सैनिक शक्ति का प्रयोग तथा युद्ध प्रायः निश्चित होता है वहीं उपनिवेश में शक्ति प्रयोग अनिवार्य नहीं होता। साम्राज्य प्रसार करने वाले देशों ने इन दोनों उपकरणों को नैतिक तथा वैध उपकरण माना तथा राष्ट्रीय हितों तथा पिछड़े हुए लोगों की भलाई के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया।

साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का युग अब समाप्त हो गया है परंतु नव उपनिवेशवाद का युग शुरू हो गया है। इस युग में पहले वाले उपनिवेशों तथा साम्राज्यों के लोग, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के पंजों से राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु इसके साथ-साथ वे अब भी अपने उपनिवेशीय तथा साम्राज्यशाही स्वामियों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं।

युद्ध राजनीति के साधन के रूप में

(War as a Instrument of National Policy)

राष्ट्रीय सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण अवधारणा की युद्ध प्रत्येक राष्ट्र के महत्वपूर्ण नीति के साधन के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र का प्राथमिक हित संरक्षित करने के लिए युद्ध को उन्नत काल से एक राज्य का महान कार्य बताया गया है। सैन्य विचारक सन्तजू ने अपनी पुस्तक The Art of War में तीन हजार वर्ष पूर्व इस अवधारणा को चित्रित किया था कि “युद्ध राष्ट्र का एक महान कार्य है। तथा इसका अध्ययन बहुत मनोयोग से करना चाहिए क्योंकि यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है।” मानव सभ्यता का इतिहास आदिकाल से लेकर आधुनिक युग तक युद्ध एवं शांति का इतिहास रहा है। युद्ध के कारण राष्ट्रों में बहुत सारी महत्वपूर्ण अवधारणाएं विकसित हुई क्योंकि राष्ट्रों ने खुद का विकास तभी किया जब उत्तरजीविता खतरे में पड़ गई अर्थात् युद्ध राष्ट्र की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए तथा उसके राष्ट्रीय मूल्यों एवं राष्ट्रीय हितों के विकास व संरक्षण के लिए अपरिहार्य थे।

विदेश नीति एवं राष्ट्रीय हित (Foreign Policy and National Interest)

प्राचीन समय से ही विदेश नीति का संचालन उसके हितों के दृष्टि से होता चला आ रहा है। समसामयिक गतिशील अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अवधारणा विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है। (National Interest is the Key Concept of Foreign Policy) विदेश नीति निर्माण का प्रारंभिक बिंदु राष्ट्रीय हित है। चाहे किसी भी राष्ट्र के कितने ही ऊंचे आदर्श हों और कितनी उदार अभिलाषाएं वह अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हित के अतिरिक्त किसी अन्य धारणा पर आधारित नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रीय हित विदेश नीति का निर्धारक तत्व है तो विदेश नीति राष्ट्रीय हितों का संचालक है। विदेश नीति निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते समय आइयो उच्चेक लिखते हैं “विदेश नीति की योजना बनाते समय, प्रतिपादन करते समय, अपनाते समय तथा लागू करते समय राष्ट्रीय नेताओं तथा उनके सहायकों के सामने कई विरोधात्मक दावे तथा मूल्यों का एक वास्तविक जाल होता है फिर भी प्राथमिकताएं अर्थात् राष्ट्रीय हित का व्यावहारिक रूप, न कि आदर्शात्मक अंश, अंत में इच्छित उद्देश्यों के रूप में तथा अपने देश की शक्ति तथा दूसरे राष्ट्रों की शक्ति के संबंध में संस्थापित होने चाहिए। राष्ट्रीय लक्ष्य तथा राष्ट्रीय साधन दोनों राष्ट्रीय पटल पर साथ-साथ ही खतरों तथा अवसरों से संबंधित होने चाहिए, न केवल दूसरे राष्ट्रों की शक्ति बल्कि उनके इरादों का भी उचित रूप से मूल्यांकन होना चाहिए” इस तरह राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधार होता है।

संदर्भ

1. सी. ओ. लर्च एण्ड अब्बुल सईद : कंसेप्ट ऑफ इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स, पृ. 6.
2. डॉ. एस. सी. सिंहल - अन्तर्राष्ट्रीय संबंध लक्ष्मी नारायण प्रकाशन, पृ. 79.
3. बाबू राम पाण्डेय, राम सूरत पाण्डेय : राष्ट्रीय सुरक्षा के मूलाधार, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 1999, पृ. 17.
4. यू. आर. घई, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं व्यवहार-न्यू एकेडेमिक पब्लिशिंग कंपनी, जालंधर, 2007, पृ. 147.
5. सर विक्टर वेलेसली : डिप्लोमेसी इन फिटर, पृ. 30.
6. डॉ. ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ज्ञानंदा प्रकाश, 2003, पृ. 16.
7. डॉ. प्रभुदत्त शर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, पृ. 159.
8. डॉ. ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ज्ञानंदा प्रकाश, नई दिल्ली, 2003, पृ. 8.